

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 22(6)शिक्षा-1/2002

जयपुर, दिनांक: 30-04-15

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक: प. 6(13)प्र.सु./अनु-3/2014 दिनांक: 28.05.2014 एवं 23.12.2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंषानुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-

1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-

1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन-12)	कला संकाय (कुल सेक्शन-12)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-12)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय-3) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2-03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II- 01 <p>कुल शिक्षक-14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय -3) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित,विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2-03 (सामा.विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय-3) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2-02 (हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-14</p>

कहा

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन-7)	कला संकाय (कुल सेक्शन-7)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-7)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -05 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 3) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल-2-03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-12 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक- 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल-2-03 (हिन्दी,अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-12 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक- 4 (सामा0 विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल-2-02 (हिन्दी,अंग्रेजी,) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-12

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन-4)	कला संकाय (कुल सेक्शन-4)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-4)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 3) • वरिष्ठ अध्यापक- 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II -01 कुल शिक्षक-9 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक- 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-9 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 1 • व्याख्याता -5 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक- 4 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा, सा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-10

1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.1.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का

का

होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा।

- 1.1.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.1.7 कक्षा 11-12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.8 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.9 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.9 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक (ii) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.2 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-

- 1.2.1 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक, कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

रु/

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-14)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-14)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-14)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 06) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2- 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित / विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय-06) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2- 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1-02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2- 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II- 01 <p>कुल शिक्षक-17</p>

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-9)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-9)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-9)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 06) • वरिष्ठ अध्यापक-02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2- 03 (हिन्दी, अंग्रेजी विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II- 01 <p>कुल शिक्षक-14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय-06) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (सामा.विज्ञान, गणित, एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2- 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2-03 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II-01 <p>कुल शिक्षक-15</p>

महा

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-6)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-6)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-6)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 06) • वरिष्ठ अध्यापक-03 (हिन्दी/अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II- 01 कुल शिक्षक-12 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता - 08 (अनिवार्य विषय-2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय-06) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (हिन्दी/अंग्रेजी, गणित, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-13 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -08 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 कुल शिक्षक-13

- 1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।
- 1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.2.7 कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.8 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.9 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक (ii) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.3. तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-

1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-16)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -11 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 09) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (गणित, तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 2- 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 - 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-20</p>

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-11)
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य - 01 • व्याख्याता -11 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 09) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (गणित, तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 2- 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01 <p>कुल शिक्षक-18</p>

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-11)
• प्रधानाचार्य - 01
• व्याख्याता -11 (अनिवार्य विषय-2 एवं ऐच्छिक विषय- 09)
• वरिष्ठ अध्यापक-04 (हिन्दी, अंग्रेजी तृतीय भाषा, गणित)
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 01
कुल शिक्षक-16

- 1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।
- 1.3.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.3.7 कक्षा 11-12 का नामांकन 360 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.8 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.9 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

तक

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक (ii) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

2. माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

2.1 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे

(i) कक्षा 1 से 10 तक संचालित माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

- प्रधानाध्यापक - 01
 - वरिष्ठ अध्यापक- 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
 - अध्यापक लेवल 2 - 02 (विज्ञान, अंग्रेजी)
 - अध्यापक लेवल 1 - 02
 - शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III - 01
- कुल शिक्षक-11**

(ii) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 10) (कुल सेक्शन-05)

- प्रधानाध्यापक - 01
 - वरिष्ठ अध्यापक - 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
 - अध्यापक लेवल 2 - 01 (गणित / विज्ञान)
 - शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III - 01
- कुल शिक्षक-08**

2.2 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.3 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.4 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक (ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

3 मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान

- 3.1 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.2 विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जावेगा।
- 3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 व 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.4 अध्यापक लेवल-2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल-2 द्वारा कक्षा 6-8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1-5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल-2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
- 3.5 अध्यापक लेवल-1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.6 उपरोक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जावेंगे।
- 3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला/वाणिज्य संकायों में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित संकाय में कक्षा 11-12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोला जावेगा।
- 3.8 यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला/वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय हैं एवं कक्षा 11-12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में किसी अतिरिक्त ऐच्छिक विषय में 20 से कम विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक होने पर

उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चालू रहेगा तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को बंद कर दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जावेगा।

अपवाद – यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षों तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बन्द किया जावेगा।

- 3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक व्याख्याता कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जावेगा।
- 3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जा जायेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जावेगी।
- 3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद, 251 से 750 नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।
- 3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे।
उदाहरणार्थ :- एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 से 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- 3.13 कक्षा 6 से 12 में 200 तक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक/शिक्षक ही पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- 3.14 जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत हैं, ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त है, तो अतिरिक्त तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जायेगा।

काल

4. मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड

4.1 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 10)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
माध्यमिक (6 से 10 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101-500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501-1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्रयोगशाला सेवक
उच्च माध्यमिक (6 से 12 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101-500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501-1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

4.2 वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों में कमी अथवा वृद्धि कनिष्ठ लिपिक के पदों में ही की जावेगी। इसी प्रकार जमादार के कुल रवीकृत पदों में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा, पदों में कमी अथवा वृद्धि चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही की जावेगी।

4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे।

रुही

5. **मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया**

5.1 मानदंडानुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :-

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा | अध्यक्ष |
| 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा | सदस्य |
| 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा | सदस्य सचिव |
| 4. उपनिदेशक, माध्यमिक द्वारा मनोनीत
दो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से) | सदस्य |

5.2 समिति की अभिशंभा पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक/कार्मिक को विषयवार/संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार पदों के पुनःनिर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2015-16 में एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ :- वर्ष 15-16 के पदों के पुनर्निर्धारण हेतु 30 सितंबर 2014 के नामांकन को आधार माना जावेगा।

6 **नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन**
(वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)


6.1 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।

6.2 इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 80 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर व्याख्याता के पद दिये जायेंगे।

क/स/

- 6.3 नवकमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
- 6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दू संख्या 3.10 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जावेगा।
- 6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जावेंगे शेष पद बिन्दू संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।
- 6.6 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिकमण में जारी किये जाते हैं।


आज्ञा से,

 30/4/15

(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
02. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 2015-16 से उपरोक्तानुसार पद निर्धारित करने की कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
07. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
08. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय।
12. रक्षित पत्रावली।

 30/4/15
संयुक्त शासन सचिव

महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत संचालित विद्यालयों हेतु

मानदण्डों का निर्धारण :-

1. कक्षा 1 से 5 स्तर तक अंग्रेजी माध्यम हेतु अध्यापक लेवल-1 के 5 पद देय होंगे। (संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम लगाये जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक, लेवल-प्रथम के पद कम किये जायेंगे)
2. कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर अध्यापक लेवल-2 के 2 पद (अंग्रेजी तथा विज्ञान/गणित) देय होंगे। (संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान-गणित) लगाये जाने पर उस विषय के अध्यापक, लेवल-द्वितीय के पद कम किये जायेंगे)
3. कक्षा 8वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर प्रधानाचार्य (उमावि) का पद देय होगा।
4. कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर निम्नांकित पद देय होंगे :-

- वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा)
- वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का 01 पद
- पुस्तकालयाध्यक्ष - 01 पद
- प्रयोगशाला सहायक -01 पद
- बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक- 01 पद अथवा कम्प्यूटर शिक्षक (अध्यापक लेवल-1/लेवल-2)

5. यदि विद्यालय में पूर्व से एक से अधिक तृतीय भाषाएँ पढ़ाई जा रही हैं तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1 पद पूर्व में स्वीकृत अनुसार देय होगा।
6. कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर एक संकाय होने की स्थिति में व्याख्याता के 5 पद (2 अनिवार्य व 3 ऐच्छिक विषय के अनुसार) देय होंगे।
7. व्याख्याताओं के 5 पद स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के मानदण्डानुसार ही कम किये जायेंगे।
8. नामांकन अनुसार अतिरिक्त विषय/अतिरिक्त संकाय प्रारम्भ किये जाने पर व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए तय मानदण्डानुसार ही सृजित/कम किये जायेंगे।
9. पूर्व प्राथमिक/बाल वाटिका कक्षा संचालन वाले विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 02-02 पद देय होंगे।
10. महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।
2	कनिष्ठ सहायक	1	कक्षा 8 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।
3	सहायक कर्मचारी	3	अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय प्रारम्भ होने पर 01 पद तथा कक्षा-9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर शेष 02 पद देय होंगे।